

UPSP010112522024



न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष संख्या 01, सहारनपुर।

उपस्थित:- अभय कृष्ण तिवारी, एच०जे०एस०

सिविल निगरानी संख्या 113/2024

मौहम्मद तालिब आदि

बनाम

रिजवान अहमद आदि।

08.04.2026

पत्रावली पेश हुआ। पुकार पर निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि प्रश्नगत निगरानी में उभय पक्ष के मध्य समझौता हो गया है। पत्रालवी मिडियेशन में गयी थी, वहां से समझौतानामा रिपोर्ट के साथ आ गया है। प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्तागण आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रश्नगत बैनामे में संशोधन के लिये और मौका संशोधन कराना चाह रहे थे। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है वह प्रस्तुत निगरानी पर बल नहीं देना चाहते हैं।

चूंकि निगरानीकर्तागण स्वयं उक्त संशोधन व इस निगरानी पर बल नहीं देना चाहते हैं। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

#### आदेश

हस्तगत सिविल निगरानी संख्या 113/2024 मौहम्मद तालिब आदि बनाम रिजवान अहमद आदि खारिज की जाती है। तलबशुदा पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित न्यायालय को यथाशीघ्र भेजी जाये। तलबशुदा पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.04.2026 में पेश हो। उभय पक्ष सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक में उपस्थित हों। इस निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अभय कृष्ण तिवारी)

अपर जिला न्यायाधीश

कक्ष संख्या 01, सहारनपुर।